भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास पत्र (ट्रस्ट)

(ट्रस्ट) का नाम सरदार भगत सिंह एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट:

हम कि विवेक तांगड़ी पुत्र श्री सोमनाथ तांगड़ी पंचवटी, 3 गोखले मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ :– मुख्य न्यासी

एवं पंकज सिंह भदौरिया पुत्र श्री जे.के. सिंह बाबा बालकदासपुरम, ठाकुरगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ :– उप मुख्य न्यासी।

विदित हो कि हम पक्षकर्ता सार्वजनिक हित, युवा उत्थान एवं शिक्षा प्रचार हेतु एक न्यास का गठन किया है जो निम्न है :–

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management
LUCKNOW

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

1. यह कि न्यास का गठन अंकन रु0 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) से आरम्भ किया जा रहा है।

2. यह कि हम मुकीर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रिकार्ड कार्यालय *25, अमृत बाजार, खुन-खुन जी रोड, चौक, लखनऊ* में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा उसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्त एवं बावत इसके कार्यालय की देश व प्रदेश की राजधानी व अन्य स्थानों पर स्थापना की जायेगी और उन कार्यालयों के पते पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकीर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य न्यास होंगे तथा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो कि न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास न्यासी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं।

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management * LUCKNOW

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 680062

-3-

न्यास का न्यासी नामित करता हूँ इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी, उप मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा।

1. विवेक तांगड़ी पुत्र श्री सोमनाथ तांगड़ी, निवासी पंचवटी, 3 गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. पंकज सिंह भदौरिया, पुत्र श्री जे. के. सिंह निवासी बाबा बालकदासपुरम्, ठाकुरगंज, लखनऊ।
3. श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री पंकज सिंह भदौरिया निवासी बाबा बालकदासपुरम्, ठाकुरगंज, लखनऊ।
4. सुगन्धा तांगड़ी, पत्नी विवेक तांगड़ी, निवासी पंचवटी, 3 गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. तुषार तांगड़ी पुत्र श्री सोमनाथ तांगड़ी, निवासी 311/6, कमला नेहरू मार्ग, चौक, लखनऊ।
6. शैलेश सिंह भदौरिया पुत्र श्री जे.के. सिंह, निवासी बाबा बालकदासपुरम्, ठाकुरगंज, लखनऊ।

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management * LUCKNOW

7. श्री सोमनाथ तांगड़ी पुत्र स्व0 श्री गुरू प्रसाद तांगड़ी निवासी 311/6, कमला नेहरू मार्ग चौक, लखनऊ।

8. सर्वेश सिंह भदौरिया पुत्र श्री जे. के. सिंह बाबा बालकदासपुरम, ठाकुरगंज, लखनऊ।

न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत एवं आवश्यकतानुसा सम्पूर्ण विश्व।

1. समाज के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं के स्थापना एवं संघालन हेतु कार्य करना।
2. निर्बल एवं असहायी के उत्थान में सहयोग करने के लिये प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना तथा संचालित करना।
3. अकाल, भूखा, बाढ़ तथा साम्प्रदायिक एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य करना।
4. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।
5. आमजन को परिश्रम करके धन अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना तथा युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।
6. समाज के लोगों के लिये उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोग हो, को आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।
7. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, प्रबन्धन, विज्ञान, नर्सिंग इत्यादि कालेज की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
8. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीव. का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण इससे सम्बन्धित ज्ञान

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management LUCKNOW

को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

9. न्यास के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में महिला कल्याण केन्द्र, वाचनालय एवं अन्य कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।

10. सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकासित करने एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय-समय पर खेलकूद तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन करना।

11. सदस्यों में सहकारिता एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना।

12. निराश्रित अनुसूचित, अनुसूचित जन जाति पिछड़ें एवं गरीब व असहाय बच्चों के लिय उच्च तकनीकी शिक्षा कम खर्च में उपलब्ध कराना।

13. सामाजिक असमानता को मिटाने के लिऐ धार्मिक तथा समाज सुधार के कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा इस हेतु कैम्प एवं सेमिनार का आयोजन करना।

14. युवकों के कल्याण हेतु यथा सम्भव प्रयास करना एवं उनके लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा हर स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन एवं आवास के समस्या के निराकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण करना।

15. भारतीय नागरिकों के कल्याणार्थ ऐसे सभी कार्य करना जो न्यास मण्डल संकल्पित करें जैसे माध्यम निषेध कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं एड्स रोग की रोकथाम, विकलांगता दूर करना, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, महिला उत्थान के कार्यक्रम इत्यादि।

- ला कालेज/ बायोटेक्नोलॉजी/ नैनोटेक्नोलॉजी/एयरोनाटिकल/ आर्किटक्चर/पालीटेक्निक /आई.ई.टी./ एप्लाइड आर्ट एण्ड क्राफ्ट/होटल मैनेजमेन्ट पर्यावरण के स्नातक/स्नात्कोत्तर/पी.एच.डी. पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु कालेजों/संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना मुख्य उद्देश्य होगा।
- नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योगों की स्थापना।
- सरदार भगत सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना।
- शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों/संस्थाओं से अनुदान/ऋण प्राप्त करना।

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management * LUCKNOW

16. पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित हर सम्भव प्रयास करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा पशु पक्षियों एवं अन्य जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु प्रयास करना।

17. पीड़ित व्यक्तियों को सर्वसुलभ सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सालय की स्थापना व संचालन करना तथा इससे संबंधित विभिन्न विधाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना।

18. अन्धापन, धेंघापन, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कैन्सर एवं एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धित कार्यों को करना तथा उक्त रोगों से बचाव के लिये जागरूकता अभियान चलाना।

19. विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिये इससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को करना तथा विभिन्न स्तर के तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिये तकनीकी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना।

20. समाज उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

21. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथ इसके विभिन्न इकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

22. न्यास की अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।

23. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादिर निर्धारित करना तथा उनकी प्रबंध इकाईयां गठित करना।

24. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

25. न्यास की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management LUCKNOW

26. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

27. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

28. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार अनुदान व अन्य रूप से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिये सम्पत्ति की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

29. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्याय मण्डल द्वारा संकलित समस्त कार्यों को करना।

5. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

न्यास का गठन एवं संचालनः–

(क)– न्यास के मुख्य न्यासी एवं उपन्यासी क्रमशः आजीवन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक होंगे जिन्हें अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में इस प्रकार अगले मुख्य न्यासी एवं उप मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी एवं उप मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो उसके विविध उत्तराधिकारी स्वमेव न्यास के मुख्य न्यासी एवं उप मुख्य न्यासी हो जायेंगे, किन्हीं परिस्थिति में यदि एक से ज्यादा विधिक उत्तराधिकारी हो तो उनमें से मुख्य न्यासी एवं उप मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनके योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुये की जायेगी। मुख्य न्यासी इस ट्रस्ट के कार्यपालक अधिकारी होंगे। न्यास के समस्त

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management LUCKNOW

प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय के क्रियान्वयन हेतु मुख्य न्यासी एवं उप मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से अधिकार प्राप्त होगें।

(ख) मुख्य न्यासी के अनुपस्थित, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता आदि की अवस्था में उप मुख्य न्यासी, मुख्य न्यासी के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(ग) न्यास मण्डल के किसी अन्य सदस्यों को उनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरा करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें न्यास से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल की बहुमत से न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।

(घ) यदि कोई न्यासी उक्त प्रकार के न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा और उनकी मृत्यु या स्वेच्छया पद त्याग करने की स्थिति में मुख्य न्यासी एवं उप मुख्य न्यासी द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी को न्यास मण्डल की राय से न्यासी के रूप में सम्मिलित करने का अधिकार होगा। न्यासी के किसी विधिक उत्तराधिकारी के न्यास मण्डल में शामिल होने की योग्यता न रखने अथवा न्यास मण्डल में सम्मिलित होकर उनके द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर न्यास मण्डल द्वारा किसी अन्य हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा।

* ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिये यदि आवश्यक हो तो मुख्य न्यासी एवं उप मुख्यन्यासी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके अन्य न्यासी को नामित कर सकते हैं।

(ङ) न्यास मण्डल कोरम 2/3 जिसमें मुख्य न्यासी एवं उप मुख्य न्यासी की उपस्थिति संयुक्त रूप से अनिवार्य है की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं, समितियों तथा नेटवर्क कार्यक्रमों के प्रबन्धक/सचिव व प्रधानाचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management LUCKNOW

वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की सह अयोग्यता समझी जायेगी कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

(च) वार्षिक बैठक में न्यास के साल भर के क्रिया कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित निश्चय एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

न्यास का कोष :-

(क) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क नेटवर्क के सम्बन्ध में प्राप्त योगदान, दान, अनुदान, चन्दा एवं सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियां एवं ली गयी ऋण राशियां निहित होगी।

(ख) न्यास के कोष की व्यवस्था के लिये उसका खाता किसी डाकघर, या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन मुख्य न्यासी तथा उपमुख्य न्यासी संयुक्त रूप से किया जायेगा अथवा दोनों के द्वारा नामित दो न्यासी भी बैंक खातों का संयुक्त संचालन कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में रुपये 50,000.00 (पचास हजार मात्र) तक मुख्य न्यासी अथवा उपमुख्य न्यासी के हस्ताक्षर से धन बैंक से आहरण किया जा सकता है परन्तु महीने में दो से अधिक बार नहीं हो सकता है।

न्यास के अभिलेख :- न्यास के अभिलेखों को तैयार करने, कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

6. न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

(क) यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य न्यासी व उपमुख्य न्यासी जिसे उचित समझे अधिकृत कर सकते हैं।

(ख) यह कि मुख्य न्यासी की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि उपमुख्य न्यासी एवं भवन क्रय कर सकेंगे या

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management LUCKNOW

5,000.00

न्यास की राशि

यास पत्र

100.00	20	120.00	1,000
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती विवेक तांगडी
पुत्र / पत्नी श्री सोमनाथ तांगडी
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी पंचवटी 3 गोखले मार्ग लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 2/8/2007 समय 6:28PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

एस.एस.पाल
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
2/8/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री/श्रीमती विवेक तांगडी
पुत्र/पत्नी श्री सोमनाथ तांगडी
पेशा व्यापार
निवासी पंचवटी 3 गोखले मार्ग लखनऊ

श्री/श्रीमती पंकज सिंह भदौरिया
पुत्र/पत्नी श्री जे.के.सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बाबा बालकदासपुरम ठाकुरगंज लखनऊ

विकसित चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल, न्यास की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर गिरवी रखकर दे सकेगा या बेच सकेगा जिसके लिये मुख्य न्यासी एवं उपमुख्य न्यासी संयुक्त रूप से कार्य अपने हस्ताक्षर द्वारा निष्पादित करेंगे।

(ग) यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त रहेगा न्यास व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य न्यासी एवं उपमुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

7. न्यास के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षण की नियुक्ति की जा सकेगी।

8. न्यास द्वारा या न्यास के विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से की जायेगी जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी अथवा उपमुख्य न्यासी द्वारा की जायेगी।

9. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यों को करेगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रति दिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

10. न्यास मण्डल, न्यास के लिये वह भी कार्य करेगा जो न्यास के हितों के लिये आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

11. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होंगी।

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management * LUCKNOW

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री गोपाल मिश्रा
पुत्र श्री स्व.रमानाथ मिश्रा
पेशा व्यापार
निवासी 403/235 कटरा बिजन बेग चौपटिया लखनऊ

व श्री मो.शारिफ
पुत्र श्री मो.अयूब
पेशा व्यापार
निवासी सदर तहसील लखनऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एस.एस.पाल
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
3/8/2007

लिहाजा बदुरूस्ती होश हवाश अपने बिना किसी जब्र व दबाव के अपनी खुशी व रजामन्दी से सरदार भगत सिंह एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के गठन व स्थापना के बावत यह न्यास पत्र निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

लखनऊ / दिनांक : 2.8.2007ई0

ह0 गवाहान :

1. गोपाल मिश्रा S/O स्व० रमानाथ मिश्रा
11-3/235 वाटर विजन बेग चौपटियां
लखनऊ

हस्ताक्षर न्यासकर्ता

1. [signature]

2. [signature]

2. मो० शारिफ
मो० अय्यूब
सदर तहसील
लख०

टाईपकर्ता :-
[signature]

मसविदाकर्ता :-
(संजय कुमार वर्मा)
डीड राईटर
निबन्धन भवन, लखनऊ

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management * LUCKNOW

Registration No 318 Year : 2007 Book No. 4

0101 विवेक तांगडी

सोमनाथ तांगडी

पंचवटी 3 गोखले मार्ग लखनऊ

व्यापार

0102 पंकज सिंह भदौरिया

जे.के.सिंह

बाबा बालकदासपुरम ठाकुरगंज लखनऊ

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

न्यासकर्ता का नाम व पता : विवेक तांगड़ी पुत्र श्री सोमनाथ तांगड़ी पंचवटी, 3 गोखले मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश (मुख्य न्यासी)

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

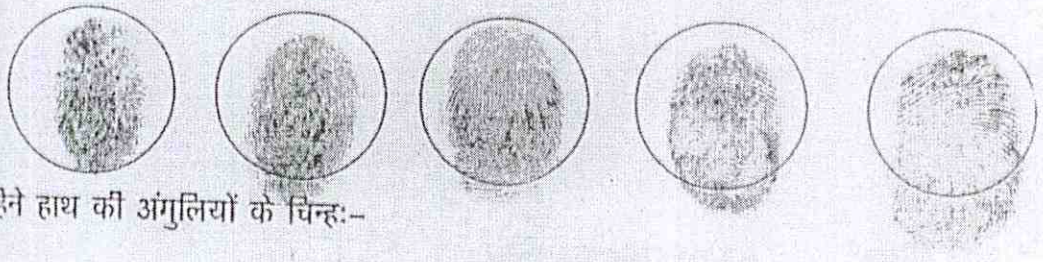

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्हः–

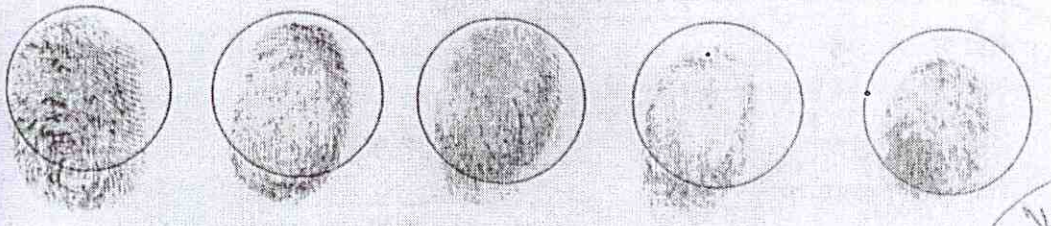

प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

न्यासकर्ता का नाम व पता :– पंकज सिंह भदौरिया पुत्र श्री जे.के. सिंह बाबा बालकदासपुरम, ठाकुरगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश (उप मुख्य न्यासी)

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

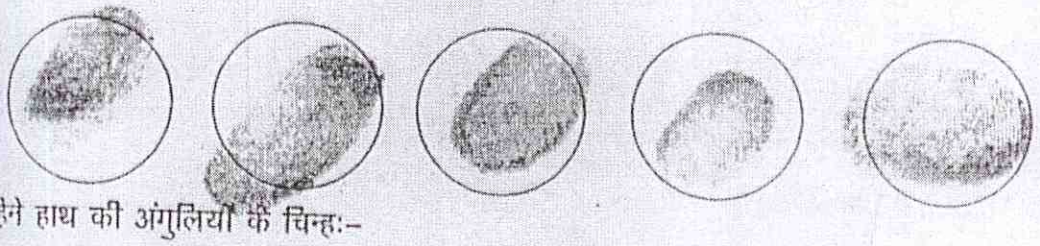

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्हः–

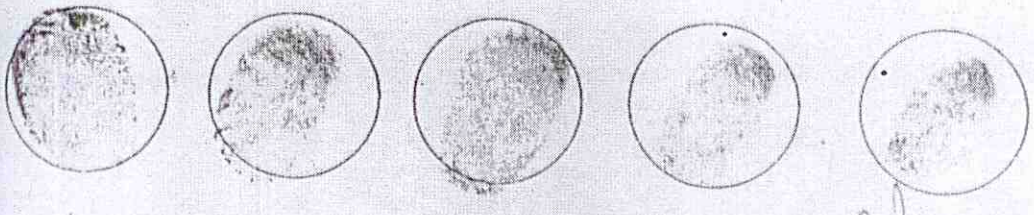

प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

Sardar Bhagat Singh College of Technology & Management * LUCKNOW

आज दिनांक 02/08/2007 को

बही सं 4 जिल्द सं 245

पृष्ठ सं. 311 से 334 पर कमांक 318

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.एस.पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

2/8/2007